

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/49/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 49 / 2024 अनवान छोद पुत्र नाना बलाई निवासी मायला पोलिया बनाम गणेश पुत्र ---- निवासी कुचलवाड़ा, सोसर देवी पत्नी ऊंकार बलाई निवासी मायला पोलिया, शांति देवी पुत्री खानाराम मीणा निवासी मायला पोलिया, सोराम पिता नानाराम बलाई निवासी मायला पोलिया, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगद्दी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयकित अनवान के प्रकरण में ग्राम मायला पोलिया प.ह. अमरवासी आराजी सं. 18/9 कुल किता 01 रकबा 1.8576 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम  
(विभाग 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

छोद पुत्र नाना बलाई निवासी मायला पोलिया  
बनाम

गणेश पुत्र ---- निवासी कुचलवाडा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 49 /2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुकम की  
तामील में जारी हुये

03-04-24

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ | प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया | प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मायला पोलिया प.ह. अमरवासी आराजी सं. 18/9 कुल किता 01 रकबा 1.8576 हेक्टेयर भूमि स्थित है | अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है | अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें | प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है |

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी | पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है | प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है | ग्राम मायला पोलिया प.ह. अमरवासी आराजी सं. 18/9 कुल किता 01 रकबा 1.8576 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है | कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे | पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें | पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें | तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं | पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें |

आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया |

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)